एनआईसी तेलंगाना: ** तेलंगाना में नए आपराधिकानूनों (एन. सी. एल.) के कार्यान्वयन और पुलिस कर्मियों द्वारा अनुभव साझा करने पर संगोष्ठी **

एक दिवसीय संगोष्ठी **"तेलंगाना में नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) का कार्यान्वयन अनुभव साझा करना"** का आयोजन **29 दिसंबर 2025** को **केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), हैदराबाद** में किया गया, जो **पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार** के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शाखा के रूप में कार्य करता है। यह आयोजन **बीपीआर एंड डी** और **तेलंगाना पुलिस** के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इसका उद्घाटन **तेलंगाना की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.आई.डी.) सुश्री चारु सिन्हा, आई.पी.एस.** द्वारा किया गया था, कार्यक्रम में उपस्थित **वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों** में **अभियोजन निदेशक श्री एस. संबासिवा रेड्डी, उप महानिरीक्षक (सी.आई.डी.) श्री नारायण नाइक, आई.पी.एस. और सी.डी.टी.आई. हैदराबाद के निदेशक श्री सलमानताज़ पाटिल, आई.पी.एस.** शामिल थे।

इस संगोष्ठी में **तेलंगाना राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों के पुलिस अधिकारियों** के साथ-साथ **जेल विभाग के प्रतिनिधियों और तेलंगाना के अभियोजन विभाग के लोक अभियोजकों** ने अपनी-अपनी टीमों के साथ सक्रिय भागीदारी की।

सीडीटीआई के निदेशक से **एसआईओ और डीडीजी, एनआईसी तेलंगाना राज्य इकाई, श्री गुंटुकु प्रसाद** को अनुरोध प्राप्त हुआ कि एनआईसी से एक विशेषज्ञ अधिकारी को नामित करें जो सत्रों में भाग ले और उन्हें संचालित करे। अनुरोध के आधार पर एनआईसी तेलंगाना राज्य केंद्र ने **श्री कार्तिक कृष्ण विजयशारधि, संयुक्त निदेशक (आईटी) / वैज्ञानिक 'डी'** को नामित किया।

सत्र के दौरान श्री कार्तिक कृष्ण विजयशारधि, संयुक्त निदेशक (आईटी) / वैज्ञानिक 'डी'

श्री कार्तिक कृष्ण विजयशारधि ने अपने प्रस्तुतीकरण में **एन.आई.सी.-मुख्यालय (एम.एच.ए.-II प्रभाग और ई-जेल परियोजना प्रभाग)** द्वारा विकसित विभिन्न अनुप्रयोगों और प्रणालियों पर केंद्रित चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया और **एन.आई.सी.-तेलंगाना** द्वारा राज्य में **नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए** समर्थित जैसे **राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एन.ए.एफ.आई.एस.) और आपराधिक प्रक्रिया पहचान (सी.आर.पी.आई.)** पर भी केंद्रित किया।

उन्होंने बताया कि कैसे ये उपकरण फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फोटो, पाम प्रिंट, डीएनए आदि एकत्र करते हैं और विभिन्न चरणों में अपराधों को सुलझाने में मदद करते हैं। उन्होंने **आतंकवाद की एकीकृत निगरानी (आईमोट), गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएएन), अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ), अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ), मानव तस्करी अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ)** और **विदेशी अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीओएफओ)** जैसे **विशेष डेटाबेस** के उपयोगों के बारे में भी बताया।

उन्होंने **विकास, रखरखाव, प्रशिक्षण** में **एन.आई.सी. की भूमिका** पर भी जोर दिया और निरंतर समर्थन का वादा किया।

रामागुंडम कमिश्नरेट टीम ने तीन नए कानूनों- **भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.)** के मुख्य उद्देश्यों को भी पेश किया, जिसका उद्देश्य त्वरित न्याय, पीड़ित सुरक्षा और पारदर्शिता है, जिसमें **सी.सी.टी.एन.एस., आई.सी.जे.एस., ई-फोरेंसिक्स और विभिन्न डेटाबेस** जैसी प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

विभिन्न विभागों की टीमों ने प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया, जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को साझा किया। सत्रों में भाग लेने वाले समाधान विशेषज्ञों, नोडल अधिकारियों और मॉडरेटरों ने प्रश्नों का समाधान किया और उठाए गए मुद्दों को हल करने में सहायता की।

यह संगोष्ठी ने अनुभव साझा करने और मुद्दों को हल करने, हितधारकों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया ताकि **एन.सी.एल. को सुचारू रूप से लागू किया जा सके**।

****